राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 210 जनवरी 2017

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

बेंगलुरू की महिलाओं के लिए, नए वर्ष का जश्न एक अप्रिय घटना बन कर रह गया जब उन्हें भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगभग 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात करने के बावजूद एक हुड़दगी भीड़ ने बीच नगर के व्यस्त एम.जी. रोड़ और ब्रिगेड रोड़ पर छुआ, धक्का दिया और छेड़खानी की। शुरू में पुलिस की प्रतिक्रिया यह थी कि उन्हें पीड़ितों से अभी तक कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

तथापि, कुछ महिलाएं, जो इस हादसे से गुजरी, और प्रत्यक्षदर्शी अब यह कहने के लिए आगे आए हैं कि विशेषकर शराब पीए हुए लोगों ने बड़े पैमाने पर छेड़खानी की। देश के लोगों में तब और अधिक नाराजी हुई जब कुछ राजनीतिज्ञों और विशेषकर राज्य गृह मंत्री ने पथभ्रष्ट लोगों के अभद्र व्यवहार को यह कहते हुए नकारा कि "ऐसी बातें भीड़-भाड़ वाली जगहों पर हो जाती हैं" और पश्चिमी संस्कृति और पहनावे की आलोचना की। एक वरिष्ठ समाजवादी राजनीतिज्ञ ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "बड़े पैमाने पर छेड़खानी तब होती है जब कम पहने कपड़ों में महिलाएं देर रात को सड़कों पर निकलती हैं।" क्या वास्तव में ऐसा होता है! वे महिलाओं के लिए यह निर्णय करने वाले कौन होते हैं कि वे क्या पहनें और क्या न पहनें? इसके विपरीत, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का पूरा अधिकार है।

चर्चा में — बेंगलुरू की शर्मनाक घटना

तथापि, नगर पुलिस का उदासीन रवैया बदतर है। शीघ्र कार्रवाई करने के बजाए पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से पूर्व औपचारिक शिकायतों का इंतजार कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी तरफ से तत्काल कार्यवाही की है और कर्णाटक के गृह मंत्री और समाजवादी नेता को उनके "गलत टिप्पणियों" के लिए बुलाया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कर्णाटक पुलिस प्रमुख, नगर पुलिस आयुक्त और गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है और जवाब मांगा है कि क्या कार्यवाही की गई है।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अब समय आ गया है कि राज्य सरकार बेंगलुरू की लोमहर्षक रात से सही सबक सीखें। उन्नत पुलिस प्रबंध जरूरी है परन्तु विशेषकर बड़े जनसमूह में, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित होंगी, पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस वाली पुलिस बल होना चाहिए जिसमें घटना स्थल पर तुरन्त पहुंचने का सामर्थ्य हो और सक्रिय रूप से कार्य करने का दृष्टिकोण हो, उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश में यदि हम सोच का बदलने का इंतजार करें तो हमें हमेशा के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।

महत्वपूर्ण निर्णय

- उच्चतम न्यायालय ने मुम्बई की एक 22-वर्षीय महिला को अपना 24 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दी है, बावजूद इसके कि समय की कानूनी सीमा 20 सप्ताह से अधिक हो गई है। ऐसा डॉक्टरों के यह कहने के बाद किया गया कि भ्रूण असामान्य है और गर्भ को पूर्ण विकसित होने देने से मां की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है।
- एक पूर्व वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ पैनल ने सिफारिश की कि विधवाओं को 40 वर्ष की बजाए 18 वर्ष की उम्र से पेंशन की जानी चाहिए जैसा कि इस समय मामला है। इसने यह भी सिफारिश की कि विधवाएं पुनर्विवाह के लिए एक बार के अनुदान और शैक्षिक फीस और कौशल विकास के लिए शुल्क की छूट के लिए पात्र होनी चाहिए। पैनल ने यह भी सिफारिश की कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम के अंतर्गत पेंशन योजनाएं सभी लक्षित परिवारों पर लागू होनी चाहिए सिवाय उनको छोड़कर जो सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के अंतर्गत "स्वतः चुनिंदा मानदंड" को पूरा करते हैं। इस समय केवल गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले इन योजनाओं के लिए पात्र हैं।
- दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय आपात रिस्पांस प्रणाली फोन नम्बर 112 पर आई कॉलों का निपटान करने के लिए शीघ्र ही एक पृथक कंट्रोल रूम स्थापित करेगी। यह आपात हेल्पलाईन अग्नि नियंत्रण और एम्बुलेंस जैसी आपात सेवाओं का लाभ उठाने के लिए गो-टू सोल्यूशन समाधान के लिए होगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के साथ परस्पर वार्ता सत्र

भारतीय उद्योग परिसंघ, दक्षिणी क्षेत्र मुख्यालय, चेन्नई द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम के साथ एक परस्पर वार्ता सत्र आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा (बाएं से चौथी) अन्य प्रतिभागियों के साथ

आरम्भ में, सुश्री सुचित्रा इला, आई. डब्ल्यू.एन. नेशनल की अध्यक्षा और सुश्री अनु श्रीराम, आई.डब्लयू.एन. दक्षिणी क्षेत्र की अध्यक्षा ने आई.डब्ल्यू. एन. द्वारा लिए गए मुख्य पहलों के बारे में बोला। उसके बाद भारतीय उद्योग परिसंघ-मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रस्तुत, क्रेच नीति पर सिफारिशों पर चर्चा हुई।

परस्पर वार्ता सत्र के दौरान, अध्यक्षा ने कहा कि 14,000 आंगनवाड़ियों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव है और क्रेच विधेयक प्रधान मंत्री कार्यालय भेज दिया गया है जो कृषि क्षेत्र को भी शामिल करेगा क्योंकि महिलाएं कृषि वाले क्षेत्रों के निकट स्कूल चाहती हैं।

एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कि क्या उन लड़कियों के लिए कोई कौशल विकास प्रोग्राम हैं जिन्होंने माध्यमिक स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी है, श्रीमती कुमारमंगलम ने कहा कि उसके लिए मानक प्रक्रियाएं लागू की जाएंगी और कड़ी निगरानी आरम्भ की जाएगी। अध्यक्षा ने महिलाओं के कल्याण जैसे संपत्ति कानून, जीरो प्राथमिकी, निःशुल्क कानूनी सेवाएं आदि के लिए कानूनों से संबंधित जागरूकता पैदा करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने आई.डब्ल्यू.एन./सी.आई.आई. को उन महिलाओं को भत्ता देने पर विचार करने के लिए कहा जो मैकेनिकल फील्ड जैसे पुरुष प्रधान इंजीनियरिंग सैक्टर में काम करना चाहती हैं।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कंपनियां मकान बनाने के लिए महिलाओं को ऋण दे सकती हैं। आई.डब्ल्यू.एन. और सी.आई.आई. द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय महिला आयोग के परामर्श से खास स्थानों पर शौचालयों के निर्माण पर एक नीतिगत पत्र तैयार करने के संबंध में श्रीमती कुमारमंगलम चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री के साथ बैठक कराने पर सहमत हो गई।

हम एकताबद्ध होते हैं

दि इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर और यू.एन. वूमैन ने मुम्बई में 6 दिसम्बर, 2016 को 'हम प्लानेट में 50:50 निवेश करने के लिए एकताबद्ध होते हैं' शीर्षक से एक प्रोग्राम आयोजित किया। प्रोग्राम में महिला बराबरी और महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा से मुक्त भविष्य पर जोर दिया गया।

(बाएं से) श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, श्री पॉल दिवका, श्री यूरी अफनेशीव, यू.एन. रेजीडेंट को-आर्डिनेटर, भारत, सुश्री पवित्र वाई., सुश्री यामिनी मिश्रा, जेंडर बजटिंग स्पेशलिस्ट, यू.एन. वूमैन

इस अवसर पर बोलती हुई, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने कहा, "सभी सरकारें समझती हैं कि महिला सशक्तिकरण से आर्थिक गति मिली है और सरकारों को समझना चाहिए कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। भारत में महिलाओं की बच्चों की देखभाल की आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं और इसका कोई एक आकार का और सबके लिए उपयुक्त समाधान नहीं है बल्कि विभिन्न समाधान विद्यमान हैं। हमें महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण में अंतर को दूर करने के लिए अपराध, भूमि रिकॉर्ड आदि के लिए विश्वसनीय महिला विभिन्न आंकड़े बनाने की भी आवश्यकता है।"

लिंग निर्धारण के विज्ञापनों को हटाया जाना

उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल एजेंसी स्थापित करने के लिए कहा है कि गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसी सर्च एजेंसियां भारत में प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित वाणिज्यिक विज्ञापन और शोध सामग्री इंटरनेट पर न दिखाएं। गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक अधिनियम 1994 में कहा गया है कि कोई भी प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण का प्रचार नहीं करेगा।

एक दो जजों की पीठ ने कहा, "जो भी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित है उसे वेबसाईट में नहीं डाला जा सकता। यदि किसी को ऐसा कुछ मिलता है जो ठेस पहुंचाता है अथवा भारत में सेक्स-अनुपात पर प्रभाव डालता है तो उसे 36 घंटों के अंतर सर्च इंजन द्वारा हटा दिया जाएगा और नोडल एजेंसी को सूचित कर दिया जाना चाहिए।" तथापि, कोर्ट ने कहा कि प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों के मुद्दे को उसके समक्ष "वाद-विवाद" किए जाने तक "अंतरिम प्रबंध" जारी रहेगा। अगली सुनवाई 17 फरवरी, 2017 को होगी।

लीक से हट करके कार्य

एक नकदीरहित विवाह, जो अपनी तरह का पहला हो सकता है, पूर्वी सिंहभूम जिले में बडिया के एक मंदिर में हुआ। यह विवाह दूल्हे के घर में शौचालय के निर्माण के कुछ ही घंटों के अंदर हुआ। इसमें सबसे अधिक प्रेरणादायक बात यह थी कि विवाह से पूर्व, दुल्हन सुनीता, जो पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में इतिहसा गांव की निवासी है, के परिवार के सदस्यों और बदिया गांव के दूल्हा सुभाष नायक ने मिलकर सुभाष नायक के घर में एक शौचालय के निर्माण में स्वैच्छिक सेवाएं दी।

डिप्टी कलक्टर संजय कुमार के अनुसार विवाह की रस्म पूरी होने से पूर्व निर्माण कार्य पूरा हो गया था और यह कुमार ही थे जिन्होंने नकदीरहित विवाह करने के लिए दोनों परिवारों को आश्वस्त किया। टेंट हाउस किराए से लेकर सब्जियां, ग्रोसरी और गहनों की खरीदारी नकदी का भुगतान किए बिना हुई। यहां तक कि पुजारी और उपहारों, जो नवविवाहितों को दिए गए थे, का भुगतान ऑनलाइन अथवा चेकों द्वारा किया गया। कुमार ने कहा कि दंपती का एक संयुक्त लेखा भी तुरंत खोला गया और विवाह के बाद उन्हें ए.टी.एम. कार्ड दिया गया। लगभग पूरा गांव इस अनूठे नकदीरहित विवाह समारोह को देखने के लिए आया और वे देश में चलाए गए नकदीरहित अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रसन्न थे।

साहस की मिसाल

हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक 21-वर्षीया कॉलेज विद्यार्थी का अभिनंदन किया। उसने बाइक सवार दो व्यक्तियों का, जो मयूर विहार में उसका मोबाइल फोन झपटने की कोशिश कर रहे थे, मुकाबला करते हुए अनुकरणीय साहस दिखाया। उसने अपना फोन तब तक कसकर पकड़े रखा जब तक वे दो व्यक्ति बाइक से गिर नहीं गए। उसने उनमें से एक को पकड़ लिया और लोगों की सहायता के लिए पहुंचने तक वह सहायता के लिए चिल्लाई। दिल्ली पुलिस ने उस कॉलेज की विद्यार्थी को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया।

स्वतः संज्ञान में लेना

- स्वतः संज्ञान में लेते हुए, आयोग ने दो मीडिया रिपोर्ट शीर्षक (क) "बेंगलुरू में नव वर्ष पूर्व संध्या में पुलिस की उपस्थिति में महिलाओं से बड़े पैमाने पर छेड़खानी" और (ख) "सी.सी.टी.वी. में बेंगलुरू की सड़कों पर घूम रहे बदमाश दिखे" की जांच करने के लिए एक समिति गठित की। सदस्या सुषमा साहू ने एडवोकेट अनिता के साथ मामले की जांच की और इस संबंध में पुलिस आयुक्त, बेंगलुरू को एक पत्र भेजा। पुलिस ने इन मामलों में शीघ्र और निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया।
- एक मीडिया रिपोर्ट शीर्षक "लाश देख आक्रोशित हुए लोग - तोड़ फोड़" की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार के दरभंगा में एक महिला की लाश उसके घर के निकट एक तालाब में बहती पाई गई। सदस्या सुषमा साहू और एक स्थानीय एडवोकेट मामले की जांच करने के लिए दरभंगा गए। समिति शिकायतकर्ताओं से मिली और पुलिस को मामले पर द्रुत कार्यवाही करने को कहा।

राष्ट्रीय महिला आयोग को दिसम्बर, 2016 में प्राप्त शिकायतें

महीना	प्राप्त शिकायतें	प्राप्त कार्यवाही की गई रिपोर्ट	बंद शिकायतें
दिसम्बर, 2016	1776	294	327

आयोग ने जनवरी, 2017 के महीने में 16 मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया।

सदस्यों के दौरे

❖ सदस्या सुषमा साहू राष्ट्रीय महिला आयोग की परामर्शदाता प्रवीन और नेहा महाजन गुप्ता के साथ 20 और 21 दिसम्बर, 2016 को पटना में एक जनसुनवाई में उपस्थित हुई। जन सुनवाई में 43 मामले लिए गए; जिसमे से 39 मामले बंद किए गए और 4 मामलों में पुलिस प्राधिकारियों को द्रुत कार्यवाही करने के निदेश दिए गए। 5 मामलों को तत्काल लिया गया और अग्रेतर कार्यवाही के लिए पुलिस को भेज दिया गया। ● सदस्या सुषमा साहू की अध्यक्षता में एक टीम दिल्ली के उत्तरी जिला में एक रैन बसेरा में अचानक गई। टीम ने देखा कि भोजन की गुणवत्ता अस्वास्थ्यकर है और वहां रहने वालों की जीवन स्थितियां स्तर के अनुसार नहीं हैं। ● सदस्या ने एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा कर्णाटक के बीदर में 'कौशल विकास और प्रशिक्षण के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण' पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। ● श्रीमती साहू ने महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा भेजी गई शिकायत की जांच की जिसमें कथित रूप से कहा गया था कि बेंगलुरू की रहने वाली शिकायतकर्ता को मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय तौर पर कष्ट से गुजारा गया। सदस्या शिकायतकर्ता से मिली और संबंधित प्राधिकारियों को इस मामले में द्रुत कार्यवाही करने का निदेश दिया। ● सदस्या एक मामले की जांच करने के लिए हाजीपुर भी गई जहां ग्राम फतेहपुर, जिला मुजफ्फरपुर की निवासी एक महिला की हत्या कर दी गई थी, चूंकि पुलिस इस मामले में उचित कार्यवाही नहीं कर रही थी और मामले को बंद करने के लिए परिवार के सदस्यों को धमकी दे रही थी, सदस्या ने संबंधित प्राधिकारियों को मामले की जांच करने के लिए निदेश दिए और एन.सी.पी.सी.आर. और एन.एच.आर.सी. को उचित कार्यवाही करने के लिए एक पत्र भी लिखा।

सदस्या सुषमा साहू बीदर में राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करती हुई और बाद में श्रोताओं को संबोधित करती हुई

❖ सदस्या रेखा शर्मा परामर्शदाता वरूण छाबड़ा के साथ एक पिता की शिकायत की जांच करने के लिए मेरठ गई। उसकी पुत्री 2017 से गुमशुदा है। सदस्या पुलिस महानिदेशक, मेरठ रेंज से इस संदर्भ में मिली और लड़की को खोज निकालने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। आयोग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने कोर्ट में अभियोग पत्र दाखिल किया। चूंकि इस समय मामला कोर्ट के विचाराधीन है, शिकायतकर्ता को अग्रेतर कार्यवाही के लिए कोर्ट जाना होगा। ● सदस्या बंद चाय एस्टेट्स की महिला कामगारों की स्थिति देखने के लिए पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी गई। वह अनेक बंद चाय एस्टेट्स यथा दार्जिलिंग जिले में पानीघट और त्रिहेंसी चाय एस्टेट्स और सुरेन्द्र नगर, धरणीपुर और रेड बैंक एस्टेट्स गई, जिनकी स्थिति बहुत खराब है जहां बिजली नहीं है और अपर्याप्त पानी है, परिवहन, मेडिकल और शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है। केवल सुचारू रूप से चल रहे माकाबाड़ी चाय एस्टेट की स्थिति ठीक है। वह बूंदापारी, ढेकलपारा और जय बीरपारा चाय बागान गई जहां की स्थितियां उतनी ही शोचनीय है। सभी चाय कामगार, मुख्यतः महिला कामगार केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले निःशुल्क राशन पर जीवन बिता रही हैं। ● दिसम्बर के दौरान, सदस्या ने विवादग्रस्त मुद्दों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के ऑफिस में संबंधित पार्टियों और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में 20 सुनवाई की और इसमें सफलता की दर 95 प्रतिशत थी।

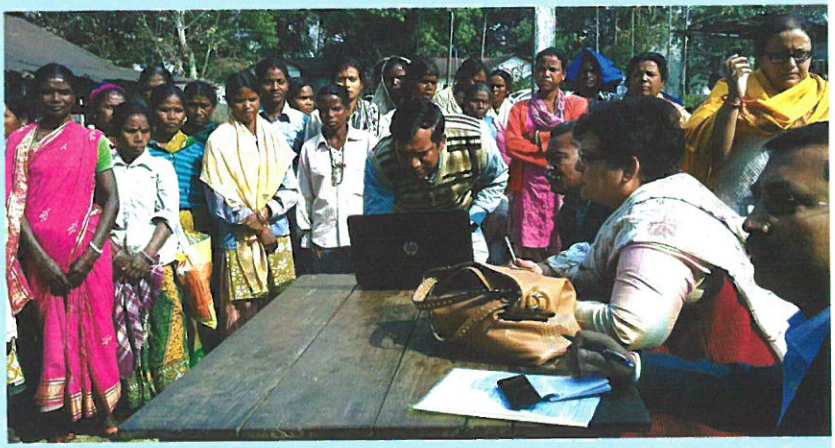

सदस्या रेखा शर्मा एक बंद चाय बागान के महिला कामगारों के साथ बात करती हुई

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम जिला, दिल्ली में 17-18 जनवरी, 2017 को जिला पुलिस और जिला विधि सेवा प्राधिकार के साथ सहयोग से "महिला जन सुनवाई" आयोजित की। सदस्य आलोक रावत ने वरिष्ठ समन्वयक कंचन खट्टर और परामर्शदाता वरूण छाबड़ा के साथ सुनवाई आयोजित की। सुनवाई के दौरान लगभग 120 मामले लिए गए।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110025 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।